



# RASHTRIYA RAKSHA UNIVERSITY

An Institution of National Importance  
Pioneering National Security and Police University of India



## **RULES & REGULATIONS HANDBOOK**

## Do's & Don'ts for JCOs:

### Do's:

1. Trainees must strictly adhere to their service uniform without exception during classes. However, formal wear is permitted on Fridays only.
2. Biometric attendance is mandatory for all the trainees.
3. Identity cards must be visibly worn at all times during classes and carried during physical training within the campus.
4. The uniform should be properly washed and neatly ironed.
5. Trainees must be seated in the classrooms at the beginning of each session.
6. Maintain regularity in attending classes according to the scheduled timetable. **(10:00 AM to 5:00 PM)**
7. Show courteous behaviour towards both teaching and non-teaching staff as well as fellow trainees, both on-campus and off-campus.
8. Trainees are responsible for maintaining cleanliness in their rooms/blocks on regular days.
9. Follow instructions diligently and attentively listen to instructors, complying with their guidance.
10. Uphold discipline by abiding by the rules and regulations of the training institution without fail.
11. Foster teamwork and cooperation among peers, supporting each other throughout the training program.
12. Adhere to the mess timings to ensure the smooth functioning of the dining facilities; no food will be available after the fixed hours. **(Breakfast – 8:00 AM to 9:30AM, Lunch- 12:30 PM to 2:00 PM, Dinner- 8:00 PM to 9:30 PM)**
13. Leave of absence is not permissible. However, in case of emergency situation, trainees may be allowed to take leave up to a maximum of 10% of the total course duration.
14. Medical facilities are available at any time of the day in case of a medical emergency.
15. Trainees have access to top-notch sports facilities at Rashtriya Raksha University (RRU). The university boasts a sports complex that includes facilities for both indoor and outdoor games. These amenities comprise a basketball court, a volleyball court, a cricket ground, and a gymnasium, providing ample opportunities for physical activity and recreation.

## क्या करें:


1. सभी प्रशिक्षार्थी कक्षाओं के दौरान अपने सर्विस यूनिफार्म को पहनने का कड़ाई से पालन करें। हालांकि, शुक्रवार को औपचारिक पहनावे की अनुमति है।
2. सभी प्रशिक्षार्थी के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य है।
3. सभी प्रशिक्षार्थी को अपना आईडी कार्ड क्लास और फिजिकल ट्रेनिंग के दौरान पहनना अनिवार्य है।
4. सभी प्रशिक्षार्थी का यूनिफार्म हमेशा साफ-सुथरा और सुव्यवस्थित रूप से आयरन होना चाहिए।
5. प्रत्येक क्लास की शुरुआत होने से पहले क्लास रूम में सभी प्रशिक्षार्थी उपस्थित होने चाहिए।
6. निर्धारित समय सारणी के अनुसार कक्षाओं में नियमितता का पालन करे। (सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक)
7. ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस में सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ एवं अपने साथी प्रशिक्षु के साथ विनम्र व्यवहार करें।
8. सभी प्रशिक्षार्थी नियमित दिनों में अपने कमरों/ब्लॉक्स में सफाई बनाए रखें।
9. सभी निर्देशों का तत्परतापूर्वक पालन करें। अपने टीचर को ध्यानपूर्वक सुनें एवं उनके मार्गदर्शन का अनुपालन करें।
10. सभी प्रशिक्षार्थी ट्रेनिंग अकैडमी के रूल एंड रेगुलेशन का अनिवार्य रूप से पालन करे एवं अनुशासन बनाए रखें।
11. अपने सहभागियों के बीच टीमवर्क और सपोर्ट को बढ़ावा दें एवं ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान एक-दूसरे का समर्थन करें।
12. मेस टाइम का पालन करें। निश्चित समय के बाद फूड फैसिलिटी उपलब्ध नहीं की जाएगी। (नाश्ता - 8:00 बजे से 9:30 बजे तक, दोपहर का भोजन- 12:30 बजे से 2:00 बजे तक, रात का भोजन- 8:00 बजे से 9:30 बजे तक)
13. गैरहाज़िर रहने की अनुमति नहीं है। हालांकि, आपातकालीन स्थिति में प्रशिक्षार्थी को कुल पाठ्यक्रम अवधि के अधिकतम 10% तक छुट्टी लेने की अनुमति दी जा सकती है।

14. चिकित्सीय आपातकाल की स्थिति में चिकित्सा सुविधाएं दिन के किसी भी समय उपलब्ध हैं।
15. प्रशिक्षार्थी को आरआरयू में श्रेष्ठ खेल सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति है। विश्वविद्यालय में एक खेल परिसर है जिसमें इनडोर और आउटडोर दोनों खेलों की सुविधाएं शामिल हैं। इन सुविधाओं में एक बास्केटबॉल कोर्ट, एक वॉलीबॉल कोर्ट, एक क्रिकेट मैदान और एक जिमखाना शामिल है, जो शारीरिक गतिविधि और मनोरंजन के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती है।



## Don'ts:

1. Avoid violating academy rules to prevent disciplinary consequences.
2. Avoid being hesitant towards safety protocols and refrain from taking unnecessary risks during training activities.
3. Refrain from loitering or standing in the corridors of RRU during class hours.
4. Mobile phone use is prohibited during class hours.
5. Male candidates are not permitted to enter female hostel rooms.
6. Prohibition of smoking, chewing tobacco, consuming alcohol or narcotics within RRU premises.
7. Avoid any disruptive behaviours such as shouting, knocking, or engaging in activities likely to disturb others.
8. Refrain from playing audio-visual systems or musical instruments that may disturb others.
9. Maintain peace and avoid causing disturbances within and around the RRU campus.
10. Strict prohibition of ragging in any form within residency or university premises.
11. Use of foul language or indecent behaviour is strictly prohibited.
12. Do not damage any property belonging to RRU campus.
13. Avoid mishandling or tampering with library books or RRU computer systems.
14. Do not paste posters or use cello tape on RRU walls.
15. Trainees must refrain from actions that could damage the institution's reputation.
16. Avoid wasting food in the mess.
17. Cooking in hostel rooms is not permitted.



## क्या न करें:

1. अनुशासनात्मक परिणामों से बचने के लिए यूनिवर्सिटी के नियमों का उल्लंघन न करे।
2. हमेशा सुरक्षा प्रोटोकॉल के प्रति अनिश्चितता से बचें और प्रशिक्षण गतिविधियों के दौरान अनावश्यक जोखिमों लेने से बचें।
3. कक्षा समय के दौरान आरआरयू के बरामदा में घूमने या खड़े होने की अनुमति नहीं है।
4. कक्षा के समय मोबाइल फोन का उपयोग निषेध है।
5. मेल कैंडीडेट्स को फीमेल हॉस्टल के कमरों में प्रवेश की अनुमति नहीं है।
6. आरआरयू परिसर के भीतर धूम्रपान, तंबाकू चबाने, शराब या नशीले पदार्थों का सेवन करने पर प्रतिबंध है।
7. किसी भी प्रतिशोधात्मक तरीके के व्यवहार से बचें जैसे चिल्लाना, खटखटाना, या दूसरों को परेशान करने वाली गतिविधियों में शामिल होना।
8. ऐसे ऑडियो-विजुअल सिस्टम या संगीत वाद्ययंत्र बजाने से बचें जो दूसरों को परेशान कर सकते हैं।
9. आरआरयू परिसर के भीतर और आसपास शांति बनाए रखें एवं अशांति उत्पन्न करने से बचें।
10. रेजीडेंसी या विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी रूप में रैगिंग पर संपूर्ण प्रतिबंध है।
11. अभद्र भाषा या अशोभनीय व्यवहार का प्रयोग सख्त वर्जित है।
12. आरआरयू परिसर से संबंधित किसी भी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं।
13. पुस्तकालय की पुस्तकों या आरआरयू कंप्यूटर सिस्टम के साथ गलत ढंग से छेड़छाड़ करने से बचें।
14. आरआरयू की दीवारों पर पोस्टर न चिपकाएं या सेलो टेप का प्रयोग न करें।
15. प्रशिक्षुओं को ऐसे कार्यों से बचना चाहिए जो संस्थान की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
16. मेस में खाना बर्बाद करने से बचें।
17. छात्रावास के कमरों में खाना पकाने की अनुमति नहीं है।